अतुल कुमार गुप्ता
आई.ए.एस.

पत्रांक: रा0प0का0/14[illegible]7/2010–11

फोन (0522) 2621599, 223[illegible] (कार्या0)
(0522) 2239283 (फैक्स)
(0522) 2239461 (आ0)

उत्तर प्रदेश शासन
(लाल बहादुर शास्त्री भवन)
लखनऊ– 226001

दिनांक: 12 जून 2010

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश में 06–14 वर्ष तक की आयु के हर बालक–बालिका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। इस उद्देश्य से प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान संचालित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी लागू हो गया है। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित सभी बालक–बालिकाओं को स्कूल लाने तथा नामांकित कराने के लिए स्कूल चलो अभियान संचालित किया जा रहा है। दिनांक 01 से 31 जुलाई 2010 तक संचालित इस स्कूल चलो अभियान में 06–14 वर्ष के हर बच्चे को स्कूल पहुँचाना है, इस निश्चय को पूरा करने के लिए सभी के सहयोग से विभिन्न प्रयास किये जाने है। स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए निम्नानुसार गतिविधियाँ आयोजित की जानी है–

जनपद स्तर पर–

1.	शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पाने के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक	21 जून
2.	जनपद के जन प्रतिनिधियों मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष/मा0 संसद सदस्य / मा0 विधायकगण/ जिला पंचायत सदस्य से नामांकन में सहयोग हेतु सम्पर्क	22–24 जून

ब्लॉक स्तर पर–

1.	ब्लॉक प्रमुख/बी0डी0सी0 सदस्यों तथा ग्राम प्रधानों के साथ विशेष बैठक एवं कार्ययोजना निर्माण	25 – 28 जून

ग्राम स्तर पर–

1.	ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति की बैठक एवं अभियान संचालन की कार्ययोजना	29–30 जून
2.	6–14 वर्ष आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर बच्चों के चिन्हीकरण हेतु परिवार सर्वेक्षण	1–15 जुलाई
3.	प्रभात–फेरी	16–17 जुलाई
4.	घर–घर जाकर सम्पर्क	23–24 जुलाई तथा 30–31 जुलाई

प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित 06–14 वर्ष के हर बच्चे को स्कूल लाने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाये। स्कूल जाने के लिए घर–घर आकर सम्पर्क किया जाये। बच्चों का नामांकन स्कूल में सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी विभागों से समन्वय का अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सहयोग लिया जाये। इस दौरान विद्यालयों की सफाई और परिवेश को भी सुन्दर बनाये जाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाय। 'स्वच्छ स्कूल सुन्दर स्कूल' का नारा इस अवधि में होना चाहिए।

शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को पाने के लिए आप सभी से अपेक्षा है कि दिनांक 1–31 जुलाई, 2010 तक उत्तर प्रदेश में संचालित स्कूल चलो अभियान के मध्य 06–14 वर्ष के हर एक बच्चे को स्कूल में नामांकित कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)

1. **नाम से**
   मण्डलायुक्त
   समस्त मण्डल
2. **नाम से**
   जिलाधिकारी
   समस्त जनपद

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

समस्त जनपद

पत्रांक स्कूल चलो अभि0/ 1732 /2010-11 लखनऊ दिनांक 30/06/ 2010

विषय सभी बच्चों के नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

6-14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक-बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र संख्या **रा0प0का0/1427/2010-11 दिनांक 12 जून, 2010** द्वारा **01 जुलाई से 31 जुलाई, 2010** के मध्य स्कूल चलो अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रदेश के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं।

उपरोक्त सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्गो से सहयोग प्राप्त कर अपने जनपद के 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को दिनांक **01 जुलाई से 31 जुलाई, 2010** के मध्य विद्यालय में नामांकित कराया जाये। इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाये। स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु अध्यापक घर-घर जा कर सम्पर्क करें। विद्यालय परिवेश आकर्षक बनाये जाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाये। इस अवधि में हमारा नारा **"स्वच्छ स्कूल सुन्दर स्कूल"** होना चाहिए। विद्यालय की साफ -सफाई और परिवेश ऐसा होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय आने में आकर्षित हों। इसके लिए ब्लाक स्तरीय अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण करें और विद्यालय की सफाई और परिवेश की सुन्दरता सुनिश्चित करें।

6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को **01जुलाई से 31 जुलाई, 2010** तक संचालित स्कूल चलो अभियान के माध्यम से विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

9C

........2/-

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद

पत्रांक स्कूल चलो अभि0/2255/2010–11 लखनऊ दिनांक 29/07/2010

विषय <u>सभी बच्चों के नामांकन हेतु संचालित स्कूल चलो अभियान की 14 अगस्त, 2010 तक की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय/महोदया,

मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या **रा0प0का0/1427/2010–11** **दिनांक 12 जून, 2010 एवं** राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या **स्कूल चलो** **अभि0/1732/2010–11 दिनांक 30.06.2010** द्वारा प्रदेश में **01 जुलाई से 31** **जुलाई, 2010** के मध्य 6–14 वर्ष के सभी बच्चों के विद्यालय में नामांकन के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान संचालित किये जाने हेतु **विस्तृत निर्देश** प्रदान किये गये थे।

6–14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने हेतु समुदाय के सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराने में गहनता से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण से स्कूल चलो अभियान की अवधि **<u>01 अगस्त से 14 अगस्त, 2010</u>** तक बढ़ाई जा रही है। इस अवधि में प्रत्येक वार्ड स्तर पर 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन के लिए विशेष जन–जागरण अभियान संचालित किया जाये। इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति की विशेष बैठक आहूत की जाये, प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाये। 01–14 अगस्त, 2010 के मध्य पूरे प्रदेश में <u>हाऊस होल्ड सर्वे</u> संचालित किया जा रहा है। अतः समस्त अध्यापक विद्यालय न जाने वाले बच्चों के चिन्हीकरण के लिए घर–घर सम्पर्क कर उन्हें विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करें। इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।

विद्यालय परिवेश आकर्षक बनाये जाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाये। **"स्वच्छ स्कूल सुन्दर स्कूल"** के नारे के साथ विद्यालय की साफ –सफाई एवं परिवेश को आकर्षक बनाया जाये। समस्त ब्लाक स्तरीय अधिकारियों जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस अवधि में भ्रमण कर विद्यालय में बच्चों का नामांकन एवं विद्यालय की साफ–सफाई एवं परिवेश की सुन्दरता सुनिश्चित करें।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upedulko@